Pol. Sc

B.A. Part III Paper 8th

राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारत में संवैधानिक विकास

क्रिप्स मिशन
Cripps Mission

भारत में स्वराज्य आंदोलन उग्ररूप धारण करता आ रहा था। अतः अँग्रेजों को विवश होकर अपनी नीति में परिवर्तन लाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध-मंत्रिमंडल के एक सदस्य "सर स्टैफोर्ड क्रिप्स" को भारतीय समस्या के समाधान के लिए भारत भेजने का निश्चय किया। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स पहले भी दो बार भारत आ चुके थे, और कांग्रेस के गण्यमान्य नेताओं से मिल चुके थे। क्रिप्स को समाजवादी नेता के रूप में जाना जाता था। अतः भारतीयों को इनसे बहुत आशा थी।

ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भेजने के कई कारण थे।

(i) युद्ध की विषम स्थिति के कारण इंगलैंड के उदारवादी नेताओं ने सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि उसको भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए संतोषजनक कदम उठाना चाहिए।

(ii) चीनी जनरल च्यांग काई-शेक ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला।

(iii) रूजवेल्ट का दबाव भी ब्रिटिश सरकार के रुख में परिवर्तन का मुख्य कारण था।

(iv) इसी समय आस्ट्रेलिया के परराष्ट्रमंत्री ने भी भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करने का सुझाव दिया।

(v) क्रिप्स मिशन भेजने का एक अन्य कारण युद्धकालीन संकट की स्थिति थी।

(vi) एक तरफ ब्रिटिश सरकार भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए आतुर थी और दूसरी ओर भारतीय बिना शर्त के सहयोग देने को तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों को किसी प्रकार बात करने की अपेक्षा और कोई चारा नहीं रह गया था।

11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कामन सभा में घोषणा करते हुए कहा था युद्ध को समाप्त होने पर यथासंभव शीघ्र से शीघ्र भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज (dominion status

प्रदान कर दिया जायेगा। इस कार्य के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत भेजा।

क्रिप्स मिशन का भारत में चारों तरफ स्वागत हुआ। इंगलैंड और भारत में समान रूप से चर्चिल की घोषणा की प्रशंसा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजाद ने क्रिप्स का एक मित्र के रूप में स्वागत किया। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स दिल्ली पहुँचे।

क्रिप्स के प्रस्ताव को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। (i) युद्ध के उपरांत संबंधी प्रस्ताव (ii) तात्कालिक स्थिति संबंधी प्रस्ताव।

(i) युद्ध के उपरान्त संबंधी प्रस्ताव :— (क) भारत में स्वशासन की स्थापना के बिना भारतीय संघ की रचना हेतु कदम उठाए जाएँगे। भारतीय संघ को पूर्ण उपनिवेश का पद प्राप्त होगा और उसे उनकी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से संबंध-विच्छेद की शक्ति भी प्राप्त होगी।

(ख) युद्ध के उपरांत एक संविधान निर्मात्री सभा बुलाई जायेगी। इस सभा का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार नव-निर्वाचित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्वाचन-मंडल की पूर्ण संख्या का दशांश होगी।

(ग) नए संविधान को ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित शर्तों के आधीन स्वीकार करेगी और उसे व्यावहारिक रूप देगी।

पहली शर्त यह थी कि जो प्रांत नए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें यह अधिकार होगा कि वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को स्थिर रखें और बाद में चाहे तो संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि ऐसे प्रांत आपस में सहमत हो जाएँ तो वे अपना पृथक संघ बना सकते हैं।

दूसरी शर्त यह थी कि संविधान की इस स्वीकृति के उपरान्त भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होगी जिसमें अंग्रेजों से भारतीयों को उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस संधि में धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के पूर्व वादों के अनुसार विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी।

Scanned with CamScanner

(ii) तात्कालिक स्थिति संबंधी प्रस्ताव :— तात्कालिक स्थिति से संबंध निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए थे।

(क) ब्रिटिश सरकार आनिवार्य रूप से भारत की प्रतिरक्षा का वह नियंत्रण और निर्देशन करेगी। ब्रिटिश सरकार भारत के सैन्य, नैतिक और भौतिक साधनों को संगठित करेगी।

(ख) प्रतिरक्षा की व्यवस्था भारतीयों के सहयोग से की जाएगी।

(ग) ब्रिटिश सरकार भारत के प्रमुख वर्गों को अपने देश को राष्ट्रमंडल की और मित्र राष्ट्रों को इन परिषदों में तुरंत और प्रभावशाली भाग दिलाने के लिए आमंत्रित करेगी।

(घ) ये प्रस्ताव आधारभूत सिद्धान्तों में अपरिवर्तनीय बताए गए जिन्हें पूर्ण रूप में स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

कॉंग्रेस की प्रतिक्रिया :— शुरू में कांग्रेसी नेताओं की क्रिप्स प्रस्तावों के प्रति भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ हुई। गाँधीजी इसके विरुद्ध थे। पंडित नेहरू ने इसका स्वागत किया। मौलाना आजाद जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे, कहना था कि चूँकि प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता है अतः इसे अस्वीकार कर देना ही ठीक है। 11 अप्रैल 1942 को कॉंग्रेस कार्यसमिति ने निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किया था।

(क) राष्ट्रीय एकता को भंग होने का भय :— क्रिप्स-प्रस्तावों में कई ऐसी बातें थी, जिनसे भारत की राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुँचता था, जैसे - प्रान्तों को भारत संघ से अलग रहने या पृथक संघ-निर्माण करने का अधिकार।

(ख) प्रतिक्रियावादी शक्तियों का महत्व :— प्रस्तावित संविधान सभा का संगठन अप्रजातांत्रिक था। इसमें देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था। इनका नामांकन देशी नरेशों को करना था। इसके संबंध में संदेह था कि ये संविधान सभा में प्रतिक्रियावादी गुट के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) तात्कालिक स्थिति संबंधी प्रस्ताव अमान्य :— कॉंग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को मान्यता दी थी, लेकिन वर्तमान संबंधी प्रस्तावों के पूर्णतया अमान्य होने से उसने सभी प्रस्तावों को अमान्य कर दिया।

Scanned with CamScanner

(घ) प्रतिरक्षा पर भारतीयों का कोई नियंत्रण नहीं :— जापानी हमले के संदर्भ में कांग्रेस ने यह मांग की थी कि प्रतिरक्षा पर भारत का पूर्ण एवं प्रभावकारी नियंत्रण रहना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी। इस प्रकार कांग्रेस के इस तर्क को कि युद्ध जनता की ओर से लड़ा जायेगा, ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया।

अन्य दलों की प्रतिक्रिया :— कांग्रेस की भाँति अन्य दलों ने क्रिप्स के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हिन्दू महासभा का कहना था कि ब्रिटिश सरकार पीछे के दरवाजे से पाकिस्तान की स्थापना करना चाहती है। सिख समुदाय भी इसी आधार पर प्रस्ताव का विरोधी था। अनुसूचित जातियों को भय था कि इन प्रस्तावों की मान्यता से कुछ खास हिन्दू जातियों का शासन स्थापित हो जायेगा। सर तेजबहादुर सप्रू और डॉ. जयकर जैसे उदारवादियों ने भी क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने विभाजन संबंधी प्रस्ताव पर असंतोष प्रकट किया।

क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण था कि क्रिप्स प्रस्ताव किसी दल के लिए संतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव से कोई खुश नहीं हुआ। साथ ही, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थी। अतः प्रस्तावों को अचानक 11 अप्रैल 1942 को हटा लिया गया।

"महात्मा गांधी" ने क्रिप्स से कहा था कि यदि आपका प्रस्ताव यही है तो मेरी सलाह है कि दूसरे वायुयान से घर लौट जाएँ।

डॉ. पट्टाभि सीतारमैया के अनुसार, क्रिप्स प्रस्ताव उस बच्चे की चिकित्सा का असफल प्रयत्न था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था।

क्रिप्स मिशन की योजना बड़े नाटकीय ढंग से समाप्त हुई। सरकार तथा अन्य दलों से समझौता वार्ता चल रही थी कि प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। क्रिप्स इंगलैंड लौट गये। भारत का सांविधानिक गतिरोध ज्यों का त्यों बना रहा। क्रिप्स योजना से भारतीयों में एक आशा की लहर का संचार हुआ था, जो एकाएक निराशा में बदल गयी।

Scanned with CamScanner